रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 22, 2004/वैशाख 2, 1926
No. 93] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 22, 2004/VAISAKHA 2, 1926

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2004

सं. 17015/18/03-एससीडी-6.—जबकि सरकार ने, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (अनुसूचित जाति विकास प्रभाग) के तारीख 24 फरवरी, 2004 के संकल्प सं. 17015/18/2003-एससीडी-6, द्वारा निश्चय किया था कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (इसमें इसके पश्चात् इसे आयोग कहा गया है) 29 फरवरी के पश्चात् छः माह की अवधि के लिए अर्थात् 31 अगस्त, 2004 तक जारी रहेगा।

और जबकि, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (अनुसूचित जाति विकास प्रभाग) ने अपने दिनांक 24-2-2004 के संकल्प सं. 17015/18/2003-एससीडी-6 द्वारा आयोग के विचारार्थ विषय और शक्तियां (अपने स्वयं की कार्य प्रणाली अपनाने की शक्ति सहित) अधिसूचित किए थे। अतः, अब भारत सरकार निम्नलिखित शर्तें विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

और जबकि, भारत सरकार ने विचार किया है कि उपर्युक्त संकल्प में वर्णित विचारार्थ विषयों के अतिरिक्त, उसके विचारार्थ विषयों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताओं, नियुक्ति की पद्धति, उसके कार्यालय में किसी रिक्ति को भरने, त्यागपत्र एवं निष्कासन तथा वेतन और भत्तों आदि के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों को विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है :—

1. **पदावधि :** (1) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अगस्त, 2004 के 31वें दिन तक पद धारण करेंगे।

(2) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, सचिव, भारत सरकार के रैंक में होंगे।

2. **वेतन और भत्ते :** (1) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जैसा सचिव, भारत सरकार को ग्राह्य है।

(2) पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ (2) तथा उप-पैराग्राफ (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, संसद-सदस्य, या विधायक, जैसी भी स्थिति हो, है, वह संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में विहित भत्तों के अतिरिक्त, जैसी भी स्थिति हो, उन भत्तों के सिवाय, यदि कोई हो, किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होगा जो राज्य का विधान सभा सदस्य राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हरता निवारण से सम्बन्धित राज्य में फिलहाल लागू किसी विधि के अधीन प्राप्त करता है।

3. **आवास :** भारत सरकार, आवास को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को आवास प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि उपलब्ध हों।

4. **यात्रा भत्ते :** आयोग के कार्य के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं के लिए यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता उन्हीं दरों पर मिलेगा, जिन पर सचिव, भारत सरकार को मिलता है।

5. **छुट्टी** : आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित छुट्टी के पात्र होंगे :

(क) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार अर्जित छुट्टी, अर्ध-वेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी; और

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को यथा ग्राह्य असाधारण छुट्टी।

6. **आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्त सेवा-निवृत्त व्यक्तियों के लिए प्रावधान** : जहां किसी व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, जैसा भी मामला हो, जो सरकार से या सरकार के स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रित किसी निकाय या प्राधिकरण से सेवा-निवृत हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्त होता है तो उसका वेतन, केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनर्नियोजित पेशनभोगी का वेतन नियतन) आदेश, 1986 द्वारा विनियमित होगा।

7. **रिक्तियों का भरा जाना** :

(1) **अध्यक्ष के कार्यालय में स्थायी या अस्थायी रिक्ति की दशा में व्यवस्था:** जहां अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो उपाध्यक्ष उस तारीख तक अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा जब तक अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता।

(2) जहां उपाध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो ज्येष्टतम सदस्य उस तारीख तक उपाध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा जब तक उपाध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता।

8. **अवशिष्ट प्रावधान:** अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों की सेवा-शर्तों से सम्बन्धित जिन मामालें के विषयक इस आदेश में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, उन्हें प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार के पास उसके निर्णय के लिए भेजा जाएगा तथा उनके संबंध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों पर बाध्यकारी होगा।

पी. नारायण मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

ORDER

New Delhi, the 25th March, 2004

No. 17015/18/03/SCD-VI.—Whereas by Resolution of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment (Scheduled Castes Development Division) No. 17015/18/2003-SCD-VI dated 24th February, 2004, the Government had resolved that in National Commission for Safai Karamcharis (hereinafter referred to as the Commission) shall continue for a period of six months beyond the 29th day of February i.e. up to 31st Day of August, 2004.

And whereas the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment (Scheduled Castes Development Division) *vide* its Resolution No. 17015/18/2003-SCD-VI dated 24-2-2004 notified the terms of reference and power of the Commission (including the power to adopt its own procedure of working). Now, therefore, the Government of India specifies the following conditions, namely :—

And whereas the Government of India has considered that it is necessary to specify certain conditions in addition to the terms of references contained in the aforesaid Resolution with regard to the terms of references qualifications, method of appointment of the Chairperson, Vice-Chairperson and Members, filling up any vacancy in office thereof, resignation and removal and salary and allowances, etc;

1. **Term of Office :** (1) The Chairperson, Vice-Chairperson and every Member shall hold office for a period up to the 31st day of August 2004.

(2) The Chairperson, Vice-Chairperson and Members of Commission shall be in the rank of Secretary to the Government of India unless otherwise specified.

2. **Salaries and Allowances :** (1) The Chairperson, Vice-Chairperson and Members of the Commission shall be paid such salary and allowances as admissible to a Secretary to the Government of India.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (2) of paragraph (1) and sub-paragraph (1) if the Chairperson, Vice-Chairperson or any other Member of the Commission is a Member of Parliament, or a State Legislature, as the case may be he shall not be entitled to any remuneration other than the allowances, destined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959), as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating the prevention of disqualification for Membership of the State Legislature receive.

3. **Accommodation :** The Government of India may provide accommodation to the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members as per the rules governing such accommodation, subject to availability.

4. **Travelling Allowances :** The Chairperson, Vice-Chairperson and other Members shall be entitled to travelling allowances and daily allowances in respect of journeys performed by them in connection with the work of the Commission at the rates as admissible to a Secretary to the Government of India.

5. **Leave :** The Chairperson, Vice-Chairperson and every Member of the Commission shall be entitled to leave as follows :

(a) earned leave, half pay leave and commuted leave in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972; and

(b) extraordinary leave as admissible to temporary Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

6. **Provision for retired persons appointed as Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission :** Where in the case of an appointment of a person as who has retired from service under Government or any local body or authority owned or controlled by Government. Chairperson, Vice-Chairperson or Members the case may be. If a person is appointed on re-employment basis, his pay shall be regulated as per the Central Civil Services (Fixation of pay of Re-Employed Pensioners) Orders, 1986.

7. **Filling up of vacancies :**

(1) **Arrangement in case of permanent or temporary vacancy in the office of Chairperson :** Where the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the Vice-Chairperson shall discharge the functions of the Chairperson until the date on which the Chairperson resumes the charge of his functions.

(2) Where the Vice-Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the senior most member shall discharge the functions of the Vice-Chairperson until the date on which the Vice-Chairperson resumes the charge of his functions.

8. **Residuary provision :** Matters relating to the conditions of service of the Chairperson, Vice-Chairperson or Members with respect to which no express provision has been made in this order, shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission.

P. N. MURTHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.